(b) whether the terrorist groups in Punjab are regaining strength and training to create panic in the State; and

(c) if so, the steps taken to curb terrorism in the State?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir. The 'Khalsa Itihasic Diary' containing pictures of 16 killed Sikh extremist leaders with laudatory couplets about their 'deeds' was published by the Dam Dami Taksal. However, this Diary has later been withdrawn.

(b) A core group of about 300 surviving militants with the leadership mainly based in Pakistan, continue their efforts to re-group and remained under pressure from Pak ISI to resume militant activities, including recruitment and training, in India. Recent inputs indicate that militant groups namely KCF(P), BKI and ISYF(R) are desperate to undertake some sensational terrorist action in India, because of constant mounting pressure of the Pak ISI.

(c) All necessary preventive steps including sharing of generated intelligence with the Sate Government are being taken. State and Central agencies have achieved some remarkable successes in solving the bomb blast cases in Punjab and neighbouring States undertaken by Punjab terrorists in the last two years. Further, they have been able to neutralize several modules of militancy by apprehending terrorists of these Punjab militant groups and several Pak-ISI agents and recovery of arms and explosives. It is because of firm policing that Pak-ISI and Punjab terrorist groups have not been able to revive terrorism in the State inspite of some terrorist incidents in the State in the last two years.

वारंटों को कार्यान्वित करने में पुलिस की शिथिलता

43. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 17 मार्च, 1988 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "पुलिस नॉट एग्जीक्यूटिंग वारंट्सः कन्ज्यूमर फोरम प्रेजीडेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजाम से लड़े क्रान्तिकारियों को पेंशन

44. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13 अगस्त, 1997 को जनसत्ता में "निजाम से लड़े क्रान्तिकारियों को 49 साल बाद भी पेंशन नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) ऐसे कितने क्रान्तिकारी बचे है, जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आशवाणी): (क) से (ग) समाचार में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:—

सरकार ने हैदराबाद स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन 1983 में हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन से संबंधित दावों की संवीक्षा करने के लिए किया था। इस स्क्रीनिंग कमेटी का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया। अब तक 7,000 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। अन्य मामलों को प्रोसेस किया जा रहा है। सरकार ने भूतपूर्व-आई.एन.ए. के कार्मिकों समेत स्वतंत्रता सेनानियों के दावों की जांच करने के लिए स्पेशल आडिट टीम का भी गठन किया था। आई.एन.ए. का एक विख्यात सदस्य भी स्पेशल आडिट टीम से सम्बद्ध है। अब तक लगभग 23,000 पूर्व-आई.एन.ए. कार्मिकों को पेंशन मंजूर की जा चुकी है। भारत की स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके पात्र आश्रितों की पेंशन राशि दिनांक 15.8.1997 से दुगनी कर दी है।

अब तक तकरीबन 1.64 लाख मामलों के स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जा चुकी है। चूंकि स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने और उसमें भोगी गई यातनाओं का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्हें अब तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर ही पेंशन के मामलों पर विचार किया जाता है और उन्हें प्रौसेस किया जाता है।

राज्य सीमा विवाद

45. **श्री अखिलेश दास:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास निपटान के लिए लंबित कुल राज्यों के सीमा विवाद संबंधी मामलों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमा विवाद कब से लंबित है;

(ग) किन राज्य सरकारों ने इस संदर्भ में अपनी-अपनी विधान सभाओं में पारित संकल्पों को केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) अनिर्णीत पड़े मुख्य अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद निम्न प्रकार हैः—

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद। ये विवाद 1956 में राज्यों के पुर्नगठन के समय से लम्बित पड़े हैं।

(ii) पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद। ये विवाद 1966 में संयुक्त राज्य पंजाब के पुनर्गठन के समय से लम्बित पड़े हैं।

जबकि महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद कुछ सीमावर्ती गांवों और शहरों के बारे में परस्पर विरोधी राज्य क्षेत्रीय दावों से संबंधित हैं, पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद का संबंध चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को किए जाने और चंडीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों का हस्तांतरण, पंजाब से हरियाणा को किए जाने से संबंधित है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है। तथापि ये विवाद, नदियों के बदलते बहाव के कारण गांवों के हस्तांतरण/पुर्न-हस्तांतरण द्वारा उत्पन्न राजस्व प्रबन्धन की कठिनाईयों को दूर करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में निर्धारित सीमा सिद्धांन्त अंगीकार किए जाने से प्रभावित प्राइवेट पार्टियों के बीच हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल ने, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लम्बित पड़े सीमा विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए हैं। 1967 में तत्कालीन मैसूर विधान मंडल ने महाजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की मांग करते हुए संकल्प पारित किए थे।

(घ) जहां केन्द्र सरकार ने समय-समय पर इन विवादों को सुलझाने में मदद करने के प्रयास किए हैं वहां तत्वतः यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है कि वे अपने मतभेद आपस में मिलजुलकर सुलझा लें। केन्द्र सरकार, इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता सहर्ष प्रदान करेगी।

Deterioration of Law and Order in Capital

46. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the law and order situation in the capital has deteriorated since the past few months and cases of murders, kidnapping and looting have increased manifold;

(b) if so, whether Delhi Police has totally failed to put a check on such crimes;

(c) if so, the details of such crimes held during the last three months; and

(d) the steps, the Union Government and the State Government propose to take to provide safe life to citizens?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) While the over-all law and order situation in the capital continues to the under control, the number of reported cases of murder, kidnapping and looting (robbery) in the last three months compare with those in the corresponding period last year in the following manner: